

क्र.सं.	विवरण	प्रति हेक्टर	प्रति एकड़
1	आवंटन	11550/-	11550/-
2	पंजीकरण	1500/-	1500/-
3	भू-भाटक	1000/-	1000/-
4	पट्टा किराया	1000/-	1000/-
5	भूगतान	1500/-	1500/-
6	अन्य	0/-	0/-
7	कुल	16550/-	16550/-

प्रति हेक्टर/एकड़ की दर से आवंटन प्रदान किया जा रहा है।

आवंटन कैसे करें

आवंटन की दिनांकितता 30.06.2010 तक है। आवंटन मुद्रा बैंक में जमा की जायेगी। आवंटन का प्रमाणिक पत्र 30.06.2010 तक दिनांक 20.08.2010 तक किसी भी कार्यालय पर प्रस्तुत की जा सकता है।

(1) पंजीकरण की प्रक्रिया

सफल आवंटन पत्र (प्रमाणिका) प्राप्त हुआ केवल तब ही पंजीकरण प्रक्रिया में प्रवेश किया जायेगा। आवंटन प्रमाणिका के साथ में बैंक/एचएफ/पीसी, जिराकी दस्ता नई दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा पर देय है। या नकद रूप में पंजीकरण का केष काउन्टर पर जमा कर, जमा करवादी धनराशि की रसीद संलग्न कर, महाप्रबन्धक (आवासीय भूखण्ड विभाग) के कार्यालय में दिनांक 21.03.2011 तक जमा कराकर अभिरक्षकता प्राप्त करेगा। आवंटन के फोटो एवं सत्यापित अथवा अपने नियंत्रक अधिकारी से सत्यापित होने अनिवार्य है अन्यथा आवंटन पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

टिप्पणी -

- 1 यदि किसी आवंटन द्वारा योजना के अन्तर्गत एक से अधिक भूखण्डों हेतु आवंटन किया जाता है तो एस आवंटन क गड-पे के अनुसार वसूली श्रेणी निर्धारित करते हुये एक आवंटन को स्वीकार करते हुए शेष आवंटनों को निरस्त कर पंजीकरण धनराशि वापस कर दी जायेगी।
- 2 अपूर्ण आवंटन पत्र साराशतया निरस्त कर दिये जायेंगे।
- 3 आवंटन को बैंक का नाम एवं शाखा, खाता संख्या का विवरण आवंटन पत्र में देना आवश्यक है।

(2) पट्टे की अवधि

आवासीय भूखण्ड का आवंटन पट्टाधारिता के आधार पर किया जायेगा। आवंटित भूखण्ड की पट्टाधारिता प्रलेख के निष्पादन की तिथि से 90 वर्ष की अवधि हेतु होगी।

भूखण्ड का प्रीमियम :-

- 1 आवंटित किये जाने वाली भूखण्डों की दर आवंटन पत्र जारी करत समय जो भी सेंटर दर प्रचलित होगी, देय होगी। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010-11 की प्रचलित आवंटन दर रुपये 11550/- रूपये प्रति वर्गमीटर है।
- ऊपर विनिर्दिष्ट भूखण्ड दर के अतिरिक्त आवासीय भूखण्डों की विशेष अवस्थिति के कारण निम्न प्रकार से अतिरिक्त स्थानिक शुल्क देय होगा

अ कोने पर स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5%
ब पार्क/हरित पट्टी के सम्मुख स्थित भूखण्ड	भूखण्ड के प्रीमियम का 5%
स 18 मी. से अथवा अधिक चौड़ी सड़क पर स्थित	भूखण्ड के प्रीमियम का 5%
द यदि किसी भूखण्ड में उपरोक्त तीनों स्थानिक लाभ हो तो तीनों के लिए अधिभार भूखण्ड के प्रीमियम का 10% देय होगा अर्थात् किसी भी स्थिति में शुल्क 10% की सीमा से अधिक नहीं होगा।	
- 3 भूमि प्रतिकर में किसी भी न्यायालय द्वारा की गयी वृद्धि की धनराशि आवंटियों से वसूल की जायेगी।

(3) भू-भाटक/पट्टा किराया

भूखण्ड के प्रीमियम के अतिरिक्त पट्टाधारक निम्न विवरण अनुसार वार्षिक भू-भाटक/पट्टा किराया अदा करेगा:

- 1 पट्टे की समय अवधि के प्रथम 10 वर्षों हेतु प्रीमियम का 1 प्रतिशत भू-भाटक/पट्टा किराया देय होगा।
- 2 भू-भाटक में प्रत्येक 10 वर्ष के उपरान्त वृद्धि होगी जो पूर्व भू-भाटक की धनराशि से 50 प्रतिशत होगी। इस प्रकार नई दर पूर्व भू-भाटक का डेढ़ गुना अर्थात् 150 प्रतिशत होगी।
- 3 भू-भाटक का भुगतान प्रतिवर्ष अग्रिम करना होगा। प्रथम भुगतान भूखण्ड के पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय देय होगा एवं उसके बाद प्रति वित्तीय वर्ष या उसके पूर्व देय होगा। भू-भाटक पट्टा किराए के अग्रिम भुगतान में चूक की स्थिति में 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज जिराकी गणना अर्द्ध वार्षिक आधार पर की जाएगी, देय होगा। भू-भाटक के भुगतान की जिम्मेदारी पूर्ण रूप से आवंटियों/पट्टाधारक की होगी।

अथवा

वर्तमान भू-भाटक की दर पर 10 वर्ष का भू-भाटक आवंटियों को एकमुश्त के रूप में भूखण्ड के पट्टा प्रलेख निष्पादन के समय जमा करना होगा।

(4) भुगतान :

- 1 पंजीकरण धनराशि उक्त प्रस्तर (2) में वर्णित तालिका में वर्णित राशि, ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में नई दिल्ली/दिल्ली/नौएडा/ग्रेटर नौएडा की बैंक शाखा पर देय 'एकाउन्ट पेयी' बैंक ड्राफ्ट/पी ऑर्डर के रूप में या नकद जमा के फलस्वरूप प्राधिकरण के केश काउन्टर द्वारा निर्गत रसीद की प्रति सहित आवंटन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।
- 2 सफल आवंटन को कुल प्रीमियम का 15% धनराशि आवंटन के रूप में (पंजीकरण धनराशि के समायोजन के उपरान्त) आवंटन पत्रजारी होने के 75 दिनों के भीतर बिना व्याज के जमा करने होंगे। 75 दिनों के भीतर आवंटन राशि का भुगतान न किये जाने पर आवंटन तथा पंजीकरण निरस्त कर दिया जायेगा, एवं जमा पंजीकरण धनराशि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जमा कर ली जायेगी। विशेष परिस्थितियों में आवंटन धनराशि जमा कराने की समय सीमा मुख्य कार्यालय अधिकारी द्वारा उनके प्राधिकृत अधिकारी की संस्तुति पर अनुमत्य की जा सकती है। परन्तु विलम्ब की अवधि के लिये आवंटन धनराशि के रूप में देय धनराशि पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज जिराकी गणना अर्द्धवार्षिक आधार पर की जायेगी, देय होगा।

(12) विधायक की सूचना

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना देनी होगी कि आबट्टी/पट्टाधारक को आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने में असमर्थ है। यदि आवश्यक हो तो आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने में असमर्थ है।

(13) लघुभवन

मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सूचना देनी होगी कि आबट्टी/पट्टाधारक को आवंटित भूखण्ड पर लघुभवन निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने में असमर्थ है। यदि आवश्यक हो तो आवंटित भूखण्ड पर लघुभवन निर्माण के लिए आवश्यक शर्तों का पालन करने में असमर्थ है।

(14) भवन नियमावली का आंकलन :

- 1 भूखण्ड पर भवन निर्माण का कार्य सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित भवन एवं विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
- 2 आबट्टी/पट्टाधारक को भूखण्ड का पुनर्विभाजन तथा किसी अन्य भूखण्ड में स्थानान्तरण करने का अधिकार नहीं होगा।

(15) बंधक

आबट्टी/पट्टाधारक मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य प्राधिभाग अधिकारी के पूर्ण दिवेकानुसार आवंटित भूखण्ड पर भवन निर्माण करा करके हेतु ग्रहण के लिए बैंक/सरकारी संस्थाओं/विदेशी संस्थाओं एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अथवा राष्ट्रीय आवासीय बैंक द्वारा अनुमोदित समतलों के पक्ष में पूर्वानुमति लेकर भूखण्ड खरीदने हेतु अथवा भवन निर्माण हेतु भूखण्ड/भवन का बंधक रख सकता है।

(16) हस्तांतरण

भूखण्ड उस पर बने भवन का हस्तांतरण मुख्य कार्यपालक अधिकारी या अन्य अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा। ऐसी अनुमति प्राधिकरण द्वारा उस समय पर लागू नियम एवं निबंधों के अधीन तथा निर्धारित प्रभारों के भुगतान के पश्चात दी जायेगी।

(17) करों के भुगतान का दायित्व

पट्टाकर्ता अथवा किसी अन्य सक्षम प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवासीय भूखण्ड तथा इस पर निर्मित भवन पर आके गये प्रभारित अथवा लागू किये सभी करों, शुल्क तथा निरूपण एवं आंकलन जो किसी भी संरचना के हैं, आबट्टी/पट्टाधारक द्वारा देय होंगे।

(18) नियम एवं शर्तों के उल्लंघन के परिणाम :

यदि आबट्टी/पट्टाधारक द्वारा निर्धारित समय पर अथवा मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा सनकें द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बढ़ाई गई तिथि पर देय धनराशि जमा करने में असफल रहने पर अथवा विवरण पत्रिका में वर्णित शर्तों/आवटन पत्रों में वर्णित शर्तों/पट्टा प्रलेख की शर्तों का अनुपालन न करने की स्थिति में आबट्टी/पट्टाधारक का आवटन पत्र/प्रलेख को निरस्त/पर्याप्तमान कर दिया जाएगा और जमा धनराशि में से भूखण्ड के 1 प्रतिशत प्रीमियम राशि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पक्ष में जब्त कर ली जायेगी। शेष जमा धनराशि, यदि कोई है तो वापिस कर दी जायेगी, भूखण्ड/संरचना का कब्जा ग्रहण कर लिया जायेगा और इस हेतु आबट्टी/पट्टाधारक कोई भी प्रतिकार पाने का दायेदार नहीं होगा।

(19) मिथ्यानिरूपण के परिणाम :

यदि आवेदक द्वारा मिथ्यानिरूपण/मिथ्या कथन अथवा धोखा कर आवटन पाया जाता है तो उसके द्वारा जमा की गई समस्त धनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस प्रकार किये गये मिथ्यानिरूपण/धोखे के परिणाम स्वरूप कानूनी कार्यवाही की जायेगी। आवटन/पट्टा के पश्चात यदि पाया जाता है कि आवटन/पट्टा मिथ्यानिरूपण, मिथ्या कथन अथवा धोखे से ग्रहण किया गया है तो आवटन/पट्टा निरस्त/पर्याप्तमान/रद्द कर दिया जायेगा तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा भूखण्ड अथवा भवन पर कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा। आबट्टी/पट्टाधारक किसी भी प्रतिकार को पाने का हकदार नहीं होगा समस्त जमा धनराशि प्राधिकरण द्वारा जब्त कर ली जायेगी तथा प्राधिकरण ऐसे आबट्टी/पट्टाधारक व विरुद्ध कार्यवाही हेतु स्वतन्त्र होगा।

(20) अन्य धारायें :

- 1 मुख्य कार्यपालक अधिकारी को पूर्ण अधिकार होगा, कि उसके द्वारा न्यायसंगत तथा उचित समझे जाने पर समय-समय पर योजना/आवटन की शर्तों में कोई परिवर्तन या संशोधन करे।
- 2 शर्तों की व्याख्या अथवा स्पष्टीकरण में विवाद होने की स्थिति में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का निर्णय निर्णायक, अन्तिम तथा आवेदक/आबट्टी के लिए बाध्यकारी होगा।
- 3 यदि किसी ईश्वरीय प्रकोप अथवा परिस्थितिदश प्राधिकरण आवटन करने अथवा आवटित भूखण्ड का कब्जा देने में सक्षम नहीं होता है उस दशा में समस्त जमा धनराशि अथवा आवटन की दशा में उक्त स्थिति तक जमा धनराशि लौटा दी जायेगी। आवटन की तिथि से तीन महीने से अधिक विलम्ब की स्थिति में जमा धनराशि 5 प्रतिशत अथवा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा बचत खाते पर अनुमन्त्र ब्याज दर जो भी कम है, सहित वापिस कर दी जायेगी।
- 4 आवटन/पट्टा के सम्बन्ध में समस्त विवादों तथा विन्दुओं के निर्धारण हेतु जिला न्यायालय, गौतमबुद्धनगर जहाँ पर सम्पत्ति स्थित है, अथवा उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का क्षेत्राधिकार होगा।
- 5 आबट्टी उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्राविधानों तथा इस संदर्भ में नियम एवं शर्तों तथा इस हेतु जारी निर्देशों द्वारा शासित होगा।



Greater Noida Industrial Development Authority

Greater Noida Industrial Development Authority

Greater Noida Industrial Development Authority

Greater Noida Industrial Development Authority

Greater Noida Industrial Development Authority

Greater Noida Industrial Development Authority

EMP-02/2011(1)

(Please Fill The Form In Capital Letter) (कृपया फार्म बड़े अक्षरों में भरें)

Form fields for Name of Applicant, Father's/Husband's Name, Present Address, Permanent Address, Date of Birth, Eligibility category, Plot Category, Applicant's Account Number, Name & Address of the Bank, Details of Deposit of Registration Money.

(Kindly see overleaf/कृपया पीछे देखें।)

Scheme Code EMP-02/2011(1)

Greater Noida Industrial Development Authority Residential Plots Scheme EMP-02/2011(1) (For Noida/ Greater Noida Employee Only) (For Office Use Only)

Form Serial No.

Received application form no.....of scheme of EMP-02/2011(1) from (Name of the Applicant)..... on behalf of "Greater Noida Industrial Development Authority" with following documents

- (I). Demand Draft/Pay Order No/ Cash receipt no.....Dated..... Drawn on..... Payable at.....
(II). Copy of Identity Card issued by the Authority
(III). Eligibility Certificate issued by Personnel Department of the Authority.

Date of Receipt

Seal & Signature of GM(Property) / Authorised Signatory

Receipt Applicant Copy (आवेदक की प्रति)

